सरयू राय

मंत्री
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं
उपभोक्ता मामले विभाग,
झारखण्ड सरकार।

झारखण्ड सरकार

पत्रांक - 2127/मंत्री को०

दिनांक :- 01.10.2018

माननीय मुख्यमंत्री,

झारखंड राज्य उर्जा संचरण निगम लि. द्वारा झारखंड में 132/33 KV, 2X15 मेगावाट ग्रिड सबस्टेशन बनाने के लिये 11 निविदाएं दिसंबर 2017 और जनवरी 2018 में प्रकाशित की गई हैं। जिनमे 'फ्लो मोर लिमिटेड' नामक एक कंपनी ने भी निविदा प्रपत्र भरा है। यह कंपनी बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख द्वारा दिनांक 01.07.2016 को 10 वर्षों के लिये काली सूची में डाली गई थी परंतु निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये शपथ पत्र में इसने यह तथ्य छुपाया है। 'फ्लो मोर लिमिटेड' द्वारा निविदा प्रपत्र की शपथ पत्र की प्रति अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन द्वारा कंपनी को काली सूची में डालने का आदेश संख्या 3587 पटना, दिनांक 01.07.2016 की छाया प्रति अनुलग्नक–2 के रूप में संलग्न है।

झारखंड सरकार के उर्जा विकास निगम लि. द्वारा निविदा के लिये गठित तकनीकी समिति को जानकारी हुई कि 'फ्लो मोर लिमिटेड' बिहार सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिये काली सूची में डाली गई है तो समिति ने इसकी निविदा का वित्तीय भाग खोलने से इंकार कर दिया। तदुपरांत 'फ्लो मोर लिमिटेड' ने बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव के समक्ष अभियंता प्रमुख द्वारा काली सूची में डालने के आदेश को निरस्त करने के लिये अपील किया। प्रधान सचिव ने आनन–फानन में इस फर्म को काली सूची में डाले जाने का आदेश निरस्त कर दिया। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का प्रासंगिक आदेश संख्या–905, दिनांक 13.03.2018 अनुलग्नक–3 के रूप में संलग्न है। इसके उपरांत प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार ने इस प्रसंग में एक अनुपूरक आदेश संख्या–1469, दिनांक 24.04.2018 जारी कर दिया जिसकी छाया प्रति अनुलग्नक–4 के रूप में संलग्न है। इसमें प्रधान सचिव ने भूतलक्षी प्रभाव से यानी 01.07.2016 से 'फ्लो मोर लिमिटेड' को काली सूची से हटाने का निदेश दे दिया। तदुपरांत प्रधान सचिव ने पुनः एक आदेश संख्या–1546, दिनांक 04.05.2018 जारी किया जिसमें कंपनी के निबंधन को भूतलक्षी प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का आदेश जारी कर दिया। यह अनुलग्नक–5 के रूप में संलग्न है। पहली नजर में ही प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के तीनों आदेश संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा एक महीने के भीतर जल्दबाजी में दिये गये इन तीन आदेशों का दुरूपयोग करते हुये 'फ्लो

कार्यालय : झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची। आवास : 1, ए.जी. मोड़ डोरण्डा, राँची।
दूरभाष : 0651–2401023, फैक्स : 0651–2402455, मो. : 9431114466
ई.मेल : saryuroyoffice@gmail.com

Scanned with OKEN Scanner

मोर लिमिटेड' झारखंड सरकार के उर्जा विकास निगम लि. द्वारा प्रकाशित करीब एक हजार करोड़ रूपये की निविदाओं को प्राप्त करने का प्रयास कर रही है।

अनुरोध है कि 'फ्लो मोर लिमिटेड' के पक्ष में प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार जल्दबाजी में दिये गये उपर्युक्त आदेशों की छानबीन कराने तथा इस बारे में विधि सम्मत निर्णय लेने की कृपा करें।

ह0/–
(सरयू राय)

सेवा में,
श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री,
बिहार सरकार,
पटना।

प्रतिलिपि : श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार।

1.10.18
(सरयू राय)

Scanned with OKEN Scanner